

# FORM No. III

APP  
CrII

2021/638

## फर्द अहकाम

(नियम 26)

जज अदालत उप जिला कलेक्टर

मुकाम

बांटीकुई

दिनेश प्र दत्त राय

बनाम

शिवो हरि

किस्म मुकदमा

इलाहाबादी

नं०

97/2021

सन्

2021

|                    |                   |  |
|--------------------|-------------------|--|
| <p>तारीख हुक्म</p> | <p>26.10.2021</p> | <p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p> |
|--------------------|-------------------|--|

उमराठु गाँवो के संग शिविर वीरतपुरा में  
 प्रवी दिनेश सिंह पुत्र पद्मराय सिंह द्वारा प्रवेनी  
 पुत्र प्रसन्न लाल राजपूत जमा करी 2074-77  
 के खता संख्या 26-28 में प्रवेनी सिंह  
 की जगह पद्मराय सिंह पुत्र लखन लाल  
 निवेदन किया साथ में लखन जमाबंदी  
 शेखर लाल आचार्य लाल, ग्राम पंचायत  
 वीरतपुरा का प्रमाण पुत्र आचार्य पुत्र लाल  
 पेश किया

प्रवी प्रवेनी पुत्र लखन पदवारी दफ्तर  
 ILR नाचक तहसीलदार कापी प्रवेनी लाल  
 गई जिसके अनुसार ग्राम नांगवास की जमा  
 करी संख्या 2073-76 खता संख्या 34 में प्रवी  
 के पिता का नाम पद्मराय सिंह पुत्र लखन लाल  
 है जो सही है।

ग्राम लखन का कर की जमाबंदी संख्या  
 2074-77 के खता संख्या 26-27 में प्रवी  
 के पिता का नाम पद्मराय सिंह पुत्र लखन लाल  
 पुत्र है जो सही है। पद्मराय पुत्र लखन लाल  
 राजपूत रिवाज ग्राम नांगवास के अनुसार प्रवी  
 पिता का सही नाम पद्मराय सिंह पुत्र लखन लाल  
 किया जाना चाहिए किया।

अतः उपरोक्त विवेचन से एवं शिविर  
 में उपस्थित आसलत एवं करपंच ग्राम  
 पंचायत की गई जातकारी के अनुसार



Handwritten signature

नाम पुस्तक किया जाना उचित प्रतीत होता है।  
 मत: मादेवा है कि ग्राम चलाका का  
 राहसील कम्पा जिला दोका ली जल  
 बंदी संवत् 2074-77 के अन्तर्गत कम्पा नम्  
 26 पुराना 28 एवं खाला कम्पा नम् 27,  
 पुराना 27 में राजिन्द्रसिंह पुत्र मूलसिंह  
 के ब्याग पर पक्षरच सिद्धसिंह पुत्र मूलसिंह  
 किया जावे। शेष इन्-प्रजागत जमाकम्पी अथावा  
 नियमाप्रकार अमल परामर्श 34 राहसील कापी  
 हो पुष्करा पत्र रजिस्टर होकर कापी राहसील  
 दाखिल पत्र हो।

उप जिला कलक्टर  
 बांदीकुई (दौसा)  
 प्रशासन गाँवों के संग अभियान-2021  
 शिबिर ग्राम पंचायत... 2.12.21